भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 4035 का उत्तर

रिशमा रेलवे स्टेशन पर आरओबी का निर्माण एवं सड़क का चौड़ीकरण

4035. श्री विजय बघेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत भारत स्टेशन योजना (एबीएसएस) के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है और कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) दुर्ग में रिशमा रेलवे स्टेशन डीडी-19 के समीप सड़क ऊपरिपुल (आरओबी) के निर्माण, रिशमा रेलवे स्टेशन के सामने वाले प्लेटफॉर्म तक जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण तथा पीछे वाले प्लेटफॉर्म तक नई सड़क के निर्माण और रिशमा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ने हेतु स्वीकृति की स्थिति क्या है;

(ग) दुर्ग से रावघाट तक दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण की स्वीकृति की स्थिति क्या है, क्योंकि कई यात्री रेलगाड़ियां इस मार्ग पर कई घंटे की देरी से चलती हैं; और

(घ) यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दुर्ग-रावघाट खंड में सप्ताह में तीन दिन चलने वाली यात्री गाड़ी संख्या 78826 (दल्लीराजहरा-दुर्ग) और 78827 (दुर्ग-दल्लीराजहरा) के नियमित दैनिक प्रचालन की स्वीकृति की स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है।

इस योजना में भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों में सुधार लाने के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है। प्रत्येक स्टेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टर योजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार
- स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण
- स्टेशन भवन में सुधार
- प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथों में सुधार
- यात्री यातायात के अनुरूप अधिक चौड़े ऊपरी पैदल पुल/भूमिगत पैदल पार पथ की व्यवस्था
- लिफ्ट/स्वचालित सीढ़ियां/रैंप की व्यवस्था
- प्लेटफॉर्म की सतह का सुधार और प्लेटफॉर्म शेल्टर की व्यवस्था
- 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
- पार्किंग क्षेत्र का विकास
- दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं
- बेहतर यात्री सूचना प्रणालियां
- एयर कॉनकोर्स, एक्जीक्यूटिव लाउंज, मल्टी मॉडल एकीकरण, भूसुदर्शनीकरण आदि का प्रावधान

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता और व्यवहार्यता के अनुसार संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल समाधान आदि और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेंटर के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,340 स्टेशनों को विकास के लिए चिह्नित किया गया है जिसमें से भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, दुर्ग जिले के दुर्ग और मरौदा स्टेशन सहित 32 स्टेशन छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
छत्तीसगढ़	32	अकलतरा, अंबिकापुर, बैकुंठपुर रोड, बालोद, बाराद्वार, बेल्हा,

		भानुप्रतापपुर, भाटापारा, भिलाई, भिलाई नगर, भिलाई पावर हाउस, बिलासपुर, चांपा, दल्लीराझरा, डोंगरगढ़, दुर्ग, हथबंध, जगदलपुर, जांजगीर नैला, कोरबा, महासमुंद, मंदिर हसौद, मरौदा, निपानिया, पेंड्रा रोड, रायगढ़, रायपुर जंक्शन, राजनंदगांव, सारोना, तिल्दा-नेओरा, उरकुरा, उसलापुर

<u>छत्तीसगढ़ में पूरे किए गए स्टेशन:</u>

छत्तीसगढ़ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य तीव्र गति से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूरे किए गए स्टेशनों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
छत्तीसगढ़	10	अंबिकापुर, बालोद, भानुप्रतापपुर, भिलाई, चाँपा, दल्लीराझरा डोंगरगढ़, राजनांदगांव, सरोना, उरकुरा

उपर्युक्त पूरे किए गए स्टेशनों में से बालोद, भानुप्रतापपुर और दल्लीराझरा स्टेशन दुर्ग-रोघाट खंड के स्टेशन हैं। अन्य स्टेशनों पर भी विकास की गतिविधियां तीव्र गति से शुरू की गई हैं और कुछ स्टेशनों की प्रगति निम्नानुसार है:

<u>छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के स्टेशन:</u>

- **भिलाई नगर स्टेशन: स्टेशन भवन में सुधार, प्रवेश प्रांगण, दूसरे प्रवेश द्वार पर नया स्टेशन भवन, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग, पहुंच मार्ग, भूसुदर्शनीकरण, प्लेटफॉर्म सतह में सुधार, प्लेटफॉर्म शेल्टरों, प्रतीक्षालय, कलाकृति, नया शौचालय ब्लॉक, रेलगाड़ी संकेतक बोर्ड, संकेतक और सीसीटीवी की संस्थापना के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। फिनिशिंग कार्य शुरू कर दिया गया है।**

- भिलाई पावर हाउस स्टेशन: स्टेशन भवन के मुख्य प्रवेश द्वार का सुधार कार्य, दूसरे प्रवेश द्वार पर नया स्टेशन भवन, प्रवेश प्रांगण, परिचलन क्षेत्र में सुधार, पार्किंग, प्लेटफॉर्म सतह का सुधार, 12 मीटर चौड़ा ऊपरी पैदल पुल, लिफ्ट, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्रवेश/निकास द्वार, पेयजल बूथ और नए शौचालय ब्लॉक के कार्य पूरे हो चुके हैं। एस्केलेटर का कार्य शुरू कर दिया गया है।
- दुर्ग स्टेशन: उत्तर की ओर नए स्टेशन भवन, सर्विस भवन, रेल सुरक्षा बल बैरक और रेल सुरक्षा बल पोस्ट, सबस्टेशन भवन, रेल कर्मचारी क्वार्टर, क्रू लॉबी भवन, पानी की ओवरहेड टंकी, पानी की भूमिगत टंकी और अस्थायी पार्किंग के विकास का कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
- मरौदा स्टेशन: परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, प्लेटफॉर्म शेल्टरों के सुधार और प्लेटफॉर्म सतह के सुधार का कार्य पूरा हो गया है। स्टेशन भवन के विस्तार, नए शौचालय ब्लॉक, जल निकासी और प्रवेश/निकास द्वारों के सुधार के कार्य शुरू किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में स्थित, दुर्ग जिले के रिसामा स्टेशन पर प्लेट फॉर्म शेल्टर, प्रतीक्षालय, पेयजल व्यवस्था, परिचलन क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, ऊँची सतह वाला प्लेट फॉर्म आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रिसामा स्टेशन की मौजूदा इमारत की ओर जाने वाली स्टेशन पहुंच सड़क स्टेशन की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का कार्य हाल के वर्षों में पूरा किया गया है। 3 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल, प्लेटफॉर्म शेल्टर, नए शौचालय ब्लॉक और नए प्लेटफॉर्म का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में यात्री सुविधाओं जैसे पहुंच मार्ग, बुकिंग काउंटर आदि की व्यवस्था सहित, स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में निर्माण कार्य आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन और निधि की उपलब्धता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। स्टेशन का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/ आधुनिकीकरण स्टेशन की कोटि/अवस्था/यातायात/संभलाई आदि के आधार पर किया जाता है।

रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा अंतर्ग्रस्त होती है और इसके लिए पेड़ों की कटाई, धरोहर, दमकल विभाग की स्वीकृति, विमानपत्तन संबंधी स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। ये स्टेशन काफी समय से परिचालित हैं, इसलिए जनोपयोगी सेवाओं (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघनों को स्थानांतरित करने, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों के परिचालन, रेलपथ एवं उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के नजदीक किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउनफील्ड कार्य संबंधी चुनौतियां सामने आ रही हैं और ये कारक कार्य की प्रगति और कार्य के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

<u>ऊपरी/निचले सड़क पुल:</u>

भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करके शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-26 (मई 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (मई 2026 तक)	14,451 अदद (192 अदद छत्तीसगढ़ राज्य में)

दिनांक 01.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग 1,17,492 करोड़ रु. की लागत से 4,993 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें छत्तीगढ़ राज्य में लगभग 1,693 करोड़ रु. की लागत से 98 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

कि.मी. 889/7-8 पर समपार सं. डीडी-19 (रिसामा समपार) के स्थान पर निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारतीय रेल में जल भराव की समस्या की रोकथाम के लिए, कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- नए निचले सड़क पुल/अंडरपास की योजना के अभिन्न अंग के रूप में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था की गई है।
- मौजूदा निचले सड़क पुल/अंडरपास में, जल प्रवाह को निकटवर्ती पुल एवं नालों/नालियों में मोड़ने पहुंच सड़कों पर कवर शेड की व्यवस्था, निचले सड़क पुलों में प्रवेश पर हंप की व्यवस्था, क्रॉस नालियों की व्यवस्था, जोड़ों को सील करना आदि जैसे उपचारात्मक उपाय व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार किए गए हैं।
- इसके अतिरिक्त, आपातकालीन स्थिति में पानी की तीव्र निकासी के लिए चिह्नित निचले सड़क पुलों के लिए पम्पिंग व्यवस्था भी की गई है और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने का प्रावधान किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को पूरा करना और कमीशनिंग करना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे-समपार समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग संरेखण

का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य अनुकूल अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

इसके अलावा, रेलवे ने कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. **सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है ताकि सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।**

ii. **ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।**

iii. **डिज़ाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के भाग के कार्यों पर सड़क के स्पैन, तिरछेपन और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना और उपसंरचना आरेखों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक संकलन के रूप में जारी किया गया है, जिसे त्वरित योजना बनाने के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनाया जा सकता है।**

<u>आरक्षण कांउटर:</u>

रिसामा रेलवे स्टेशन से 07 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुण्डरदेही रेलवे स्टेशन पर रेलवे आरक्षण काउंटर सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि 88% से अधिक आरक्षित टिकटें ऑनलाइन जारी की जाती हैं जो कि कहीं से भी, किसी भी समय टिकट प्राप्त करने का एक विकल्प है। साथ ही, रेलवे ने 01.07.2025 को रेलवन ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप यात्रियों को मोबाइल फोन पर आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। वस्तुतः इससे यात्री आरक्षण प्रणाली की सुविधा यात्रियों की पहुँच में आ गई है।

<u>रेल संपर्कता:</u>

दुर्ग के साथ रोघाट की संपर्कता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं:

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्थिति
1	दल्लीराझरा - रोघाट नई लाइन परियोजना (95 कि.मी.)	हाल ही में परियोजना पूरी की गई है।
2	रोघाट - जगदलपुर नई लाइन परियोजना (140 कि.मी.)	• परियोजना के लिए कुल 818 हेक्टेयर भूमि में से 249 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। • जगदलपुर - पल्ली - कुरकानार (12 कि.मी.) खंड में भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और इस खंड में महत्वपूर्ण बड़े पुलों, ऊपरी सड़क पुल, भूमि संबंधी कार्य, छोटे पुलों आदि पर कार्य शुरू कर दिया गया है। • रोघाट - कुरकानार (128 कि.मी.) खंड में भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़

रेल बजट:

हाल ही के वर्षों में बजट आबंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-2014	₹311 करोड़ प्रति वर्ष
2026-2027	₹7,470 करोड़ (लगभग 24 गुना)

रेलपथ निर्माण:

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथों की कमीशनिंग/बिछाने के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	32 कि.मी.	6.4 कि.मी. प्रति वर्ष
2014-26	1,311 कि.मी.	109.29 कि.मी. प्रति वर्ष (17 गुना)

स्वीकृत की गई परियोजनाएं:

दिनांक 01.04.2026 की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 48,202 करोड़ रुपए लागत की 2,398 कि.मी. कुल लंबाई की 36 परियोजनाएं (8 नई लाइन और 28 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च, 2026 तक किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	8	887	262	7,535

दोहरीकरण	28	1,512	889	11,298
कुल	36	2,398	1,151	18,833

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं:

छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	खरसिया-कोरिछापर नई लाइन (43 किलोमीटर)	851
2	बिलासपुर-उरकुरा तीसरी लाइन (110 किलोमीटर)	365
3	सलका रोड-खोंगसरा दोहरीकरण (26 किलोमीटर)	181
4	दुर्ग-राजनांदगांव दोहरीकरण (31 किलोमीटर)	250
5	बिलासपुर में फ्लाईओवर सहित खोदरी-अनूपपुर दोहरीकरण (72 किलोमीटर)	792
6	चंपा-झारसुगुड़ा तीसरी लाइन (152 किलोमीटर)	1,227
7	पेंड्रा रोड-अनूपपुर तीसरी लाइन (50 किलोमीटर)	394
8	रायपुर - टिटलागढ़ दोहरीकरण (203 किलोमीटर)	1,171
9	दल्लीराझरा-रावघाट (95 किलोमीटर)	1,628

चालू परियोजनाएं:

छत्तीसगढ़ में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली प्रमुख परियोजनाएँ, जो शुरू की गई हैं, इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपए में)
1	खरसिया-धरमजयगढ़ नई लाइन (122 किलोमीटर)	3,407

2	गेवरा रोड-पेंड्रा रोड नई लाइन (135 किलोमीटर)	3,724
3	धरमजयगढ़-कोरबा नई लाइन (63 किलोमीटर)	1,686
4	चिरमिरि-नागपुर हॉल्ट नई लाइन (17 किलोमीटर)	670
5	सरडेगा-आलुमुंडा नई लाइन (37 किलोमीटर)	1,282
6	खरसिया-परमालकसा नई दोहरी लाइन (278 किलोमीटर)	7,854
7	रावघाट-जगदलपुर नई लाइन (140 किलोमीटर)	3,513
8	किरंडुल-जदगलपुर दोहरीकरण (150 किलोमीटर)	1,780
9	जगदलपुर-कोरापुट दोहरीकरण (107 किलोमीटर)	1,547
10	झारसुगुड़ा-बिलासपुर चौथी लाइन (206 किलोमीटर)	2,596
11	गेवरा रोड-पेंड्रा रोड दोहरीकरण (135 किलोमीटर)	3,475
12	राजनांदगांव-नागपुर तीसरी लाइन (228 किलोमीटर)	3,545
13	बोरीडांड-अम्बिकापुर दोहरीकरण (80 किलोमीटर)	1,577
14	दुर्ग-राजनांदगांव चौथी लाइन (31 किलोमीटर)	464
15	गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन (84 किलोमीटर)	2,223
16	बैकुंठ- उरकुरा चौथी लाइन (26 किलोमीटर)	426
17	चंपा-कोरबा तीसरी लाइन (42 किलोमीटर)	755

किसी भी रेल परियोजना/ओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगिताओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां

- **क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति**
- **विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि**

ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

वर्तमान में, दुर्ग-दल्लीराझरा खंड 10 रेलगाड़ी सेवाओं द्वारा सेवित है, जिसमें 6 दैनिक गाड़ी सेवाएं और 02 गाड़ी सेवाएं जो सप्ताह में 6 दिन परिचालित होती हैं। ये नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्र.सं.	गाड़ी संख्या और नाम
1	78815 रायपुर - अंतागढ़ डेमू (दैनिक)
2	78816 अंतागढ़ - रायपुर डेमू (दैनिक)
3	78817 दुर्ग - दल्लीराझरा डेमू (दैनिक)
4	78818 अंतागढ़ - दुर्ग डेमू (दैनिक)
5	78824 दुर्ग - दल्लीराझरा डेमू (दैनिक)
6	78825 दल्लीराझरा - दुर्ग डेमू (दैनिक)
7	68764 रायपुर - ताड़ोकी मेमू (6 दिन)
8	68765 ताड़ोकी - रायपुर मेमू (6 दिन)
9	78826 दल्लीराझरा - दुर्ग डेमू
10	78827 दुर्ग - दल्लीराझरा डेमू

इसके अलावा, किसी भी मार्ग/खंड पर गाड़ी सेवाओं के फेरे बढ़ाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें शामिल हैं:

- **उस खंड की क्षमता**
- **पथ की उपलब्धता**

- **अपेक्षित चल स्टॉक की उपलब्धता**
- **चल स्टॉक के लिए समान अवसंरचना की उपलब्धता**
- **रेलपथों और अन्य परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की आवश्यकता**
- **खंड की अधिभोगिता और यातायात मांग।**
